भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2715
04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में इस्पात कबाड़ पुनर्चक्रण इकाइयां

2715. **श्री अरविंद धर्मापुरीः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सृजित इस्पात कबाड़ पुनर्चक्रण क्षमता और पुनर्चक्रण की मात्रा का तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात निर्माण में संगठित कबाड़ संग्रहण, प्रसंस्करण और कबाड़ के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या तेलंगाना में वाहन को कबाड़ में बदलने, इस्पात पुनर्चक्रण या अतिरिक्त कबाड़-आधारित कोई संगठित इकाइयां स्थापित की गई हैं या प्रस्तावित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने, संसाधन दक्षता में सुधार करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ग): वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इस्पात के उत्पादन के लिए लगभग 36 मिलियन टन लौह स्क्रैप का उपयोग किया गया था, जिसमें से लगभग 28 मिलियन टन स्क्रैप घरेलू स्तर पर उत्पादित किया गया। तेलंगाना सहित देश भर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) का विवरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन पोर्टल पर नीचे दिए गए यूआरएल पर उपलब्ध है:

'https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/rvsfdetails.xhtml '

(ख) और (घ): इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा संगठित स्क्रैप संग्रहण, प्रसंस्करण और इस्पात निर्माण में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम तथा इस क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु अपनाई गई रणनीति निम्नलिखित है:

(i) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय ढांचा प्रदान करती है।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन हेतु प्रोत्साहन/निरुत्साहन की प्रणाली शामिल है। इस नीति के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए

जारी...2/-

नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरण नियमों के तहत धातु और अन्य सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रदूषण मुक्त करने और विघटन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(iii) भारत सरकार ने पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित तरीके से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 लागू किए हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य बनाता है, जिसके तहत वाहन उत्पादकों को वाहन के प्रकार और प्राप्त सामग्री के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।

(v) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य पोत के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पुनर्चक्रण को विनियमित करना और बढ़ावा देना है।

(vi) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

(vii) इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के आधार पर ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और एक्शन प्लान'' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य की दिशा में ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(viii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चार पायलट परियोजनाएं प्रदान की गई हैं।

(ix) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(x) विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कार्बन बाजार को विनियमित करने के लिए दिनांक 28.06.2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया है, जो इस्पात संयंत्रों पर भी लागू होती है।

******